



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2007/पौष 10, 1929

No. 236]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2007/PAUSA 10, 1929

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2007

फा. सं. एल-7/106(122)/सीईआरसी-2007.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों, और इस निमित्त सभी सागर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से व्युत्पन्न राजस्व में हिस्सेदारी) विनियम, 2007 है ।

(2) ये विनियम अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली, जिसमें उसके कोई भी घटक सम्मिलित हैं, के स्वामियों, उन पारेषण प्रभारों को लागू होंगे जो लागत प्लस आधार पर आयोग द्वारा अवधारित किए जाते हैं ।

(3) ये विनियम 1-1-2008 से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं तथा निर्वचन :

(1) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(2) "आस्तियों" से आयोग की विनियामक अधिकारिता के अधीन अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के भाग रूप कोई भी आस्तियां अभिप्रेत हैं;

(3) "आयोग" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(4) "अन्य कारबार" से पारेषण स्वामी द्वारा अपनी आस्तियों के बेहतर उपयोग के लिए पारेषण कारबार से भिन्न किया गया कोई अन्य कारबार अभिप्रेत है;

- (5) "पारेषण कारबार" से अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के संनिर्माण, प्रचालन तथा रखरखाव का कारबार अभिप्रेत है ;
- (6) "पारेषण स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली का स्वामी है, उसका प्रचालन करता है तथा उसको बनाए रखता है ; और
- (7) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा पदों, जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, का वहीं अर्थ होगा जो अधिनियम में है ।

3. अन्य कारबार की सूचना - (1) अपनी आस्तियों का अधिकतम उपयोग करने के लिए अन्य कारबार को आरंभ करने का प्रस्ताव करने वाला पारेषण स्वामी ऐसे अन्य कारबार को आरंभ करने की अपने आशय की पूर्व सूचना आयोग को लिखित में देगा :

परंतु यह कि इन विनियमों के आरंभ से पूर्व अन्य कारबार को आरंभ करने वाला पारेषण स्वामी ऐसे प्रारंभ की तारीख से दो मास के भीतर ऐसी सूचना देगा ।

(2) यथापूर्वोक्त ऐसी सूचना देते समय, पारेषण स्वामी शपथपत्र द्वारा सम्यक् रूप से समर्थित निम्नलिखित ब्यौरे देगा, अर्थात् :-

- (क) अन्य कारबार की प्रकृति;
- (ख) अन्य कारबार में पूंजी विनिधान;
- (ग) अन्य कारबार से व्युत्पन्न या व्युत्पन्न किया जाने वाला प्राकलित राजस्व ;
- (घ) अन्य कारबार के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त की जाने वाली आस्तियों, जैसे संचार कारबार की दशा में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित मार्गाधिकार की लंबाई; और
- (ङ.) प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित आस्तियों की लागत; और
- (च) विद्युत में अंतर-राज्यिक पारेषण संबंधी अन्य कारबार के लिए आस्तियों के उपयोग का प्रभाव, यदि कोई हो ।

(3) खंड (2) के अधीन विनिर्दिष्ट ब्यौरे तत्पश्चात् उस हर समय पर पारेषण स्वामी द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे जब अन्य कारबार के लिए आस्तियों के उपयोग में परिवर्तन होता है :

परंतु यह कि संचार कारबार की दशा में इन ब्यौरों को प्रत्येक वर्ष के आधे वर्ष में 30 अप्रैल तथा 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत किया जाएगा :

परंतु यह और कि संचार कारबार से भिन्न कारबार की दशा में ऐसे ब्यौरे प्रत्येक वर्ष को 31 अक्टूबर तक वार्षिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे भले ही आस्तियों के उपयोग में कोई परिवर्तन न हो ।

(4) पारेषण स्वामी द्वारा आयोग को प्रस्तुत किए गए ब्यौरों को अन्य कारबार के लिए प्रयुक्त आस्तियों के फायदाग्राहियों को भी दिया जाएगा ।

4. राजस्व की हिस्सेदारी की रीति - (1) पारेषण स्वामी अन्य कारबार से राजस्व की हिस्सेदारी निम्नलिखित रीति से करेगा, अर्थात् :-

(क) संचार कारबार

(i) यदि अन्य कारबार संचार कारबार है तो राजस्व की हिस्सेदारी के लिए मानदंड संचार कारबार के लिए पारेषण स्वामी के स्वामित्वाधीन पारेषण टावरों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल या ऑप्टिकल फाइबर संमिश्रित शिरोपरि ग्राउंड वायर बिछाने के लिए प्रयुक्त मार्गाधिकार की लंबाई होगी ।

(ii) पारेषण स्वामी पारेषण टावरों पर एक ऑप्टिकल फाइबर केबल या ऑप्टिकल फाइबर संमिश्रित शिरोपरि ग्राउंड वायर बिछाने के लिए मार्गाधिकार के लिए 3000 रूपए प्रतिवर्ष प्रति किलोवाट की दर से राजस्व को बांटेगा तथा बांटा गया राजस्व उपयोग के लिए पहचाने गए फाइबरों की संख्या के अनुपात में ऑप्टिकल फाइबर केबल या ऑप्टिकल फाइबर संमिश्रित शिरोपरि ग्राउंड वायर के उपयोक्ताओं के बीच प्रभाजित किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण यदि "एम" फाइबर वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल या ऑप्टिकल फाइबर संमिश्रित शिरोपरि ग्राउंड वायर पारेषण लाइन पर संस्थापित किया गया है, और "एन" फाइबर संचार कारबार (एकीकृत भार प्रेषण तथा संचार स्कीम के लिए प्रयुक्त किए जा रहे शेष फाइबर) के लिए प्रयुक्त किए जाने हेतु हैं, तो संचार कारबार वार्षिक पारेषण प्रभार की कटौती के लिए पारेषण कारबार को (एन x एम) रूपए x 3000 प्रति किलोमीटर की प्रतिपूर्ति करेगा ।

(iii) 1 अप्रैल को विद्यमान मार्गाधिकार की लंबाई पर सुंगत वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से 30 सितंबर की अवधि के लिए तथा 1 अक्टूबर से 31 मार्च की अवधि को विद्यमान बांटने योग्य राजस्व की संगणना के लिए विचार किया जाएगा :

परंतु यह कि यदि पारेषण स्वामी इन विनियमों के प्रारंभ से पूर्व संचार कारबार आरंभ करता है तो 1 जनवरी, 2008 को यथा विद्यमान मार्गाधिकार की लंबाई पर 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2008 की अवधि के लिए बांटने योग्य राजस्व की संगणना के लिए विचार किया जाएगा ।

(ख) संचार कारबार से भिन्न कारबार

यदि अन्य कारबार संचार कारबार से भिन्न कारबार है तो आयोग द्वारा राजस्व बांटने का विनिश्चय ऐसे अन्य कारबार में प्रयुक्त आस्तियों के मूल्य में प्रतिफल, उससे व्युत्पन्न राजस्व तथा इन विनियमों के विनियम 3 के अधीन पारेषण स्वामी द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य ब्यौरों पर केस टू केस आधार पर किया जाएगा :

परंतु यह कि राजस्व बांटने के प्रश्न का विनिश्चय करने से पूर्व, आयोग पारेषण स्वामी तथा आस्तियों के फायदाग्राहियों को प्रतिवेदन का समुचित अवसर देगा ।

5. **पारेषण प्रभारों में कटौती :** इन विनियमों के अनुसार पारेषण स्वामी द्वारा बांटने योग्य राजस्व का उपयोग पारेषण स्वामी को उनके द्वारा संदेय पारेषण प्रभारों के अनुपात में अन्य कारबार के लिए प्रयुक्त आस्तियों के फायदाग्राहियों द्वारा संदेय पारेषण प्रभारों की कटौती के मद्दे किया जाएगा तथा क्रमशः मास के बिलों में मासिक आधार पर समायोजित किया जाएगा ।

6. **लेखाओं को बनाए रखना :** (1) पारेषण स्वामी प्रत्येक अन्य कारबार तथा पारेषण कारबार से पृथक कारबार के लिए पृथक लेखा बहियां बनाए रखेगा तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तुलनपत्र, लाभ तथा हानि लेखा की प्रतियां तथा वर्ष के 31 अक्टूबर को या उससे पूर्व वार्षिक रूप से आयोग को संपरीक्षा रिपोर्ट तथा लेखाओं की टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा ।

(2) अन्य कारबार के लिए लेखाओं की बहियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पारेषण कारबार तथा अन्य कारबार के बीच प्रभारों के अनुपात या आबंटन के आधार के साथ अन्य कारबार से या उसके राजस्व, लागत, आस्ति, दायित्व, आरक्षित, प्रभारित प्रावधान के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे ।

7. **अन्य शर्तें:** (1) पारेषण स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि पारेषण कारबार अन्य कारबार से सहायता प्राप्त नहीं करता है ।

(2) पारेषण स्वामी अन्य कारबार के समर्थन में अपनी पारेषण आस्तियों को किसी रूप में बाधित नहीं करेगा ।

(3) पारेषण स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य कारबार के लिए अपनी आस्तियों के उपयोग से पारेषण कारबार में उसके कार्यपालन या बाध्यताओं पर किसी भी रीति से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

आयोग की शक्तियां : (1) आयोग अन्य कारबार से प्रयुक्त किए जा रहे पारेषण कारबार की आस्तियों के निर्धारण के लिए पारेषण स्वामी के लेखाओं, अभिलेखों तथा आस्तियों और अधिनियम, नियम तथा इन विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी समय प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण तथा सत्यापन कर सकेगा ।

(2) आयोग इन विनियमों के अधीन बांटनेयोग्य राजस्व के सत्यापन के प्रयोजन के लिए निरीक्षण करने हेतु ऐसे शर्तों, यदि कोई हो, जो समुचित समझे जाएं, के अधीन रहते हुए अपने किसी भी अधिकारी तथा किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा तथा जो आयोग को रिपोर्ट देगा ।

(3) आयोग खंड (2) के अधीन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् पारेषण स्वामी तथा आस्तियों के फायदाग्राहियों को प्रतिवेदन का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह समुचित समझे ।

9. **आदेशों तथा निदेशों का जारी किया जाना :** आयोग अधिनियम, नियमों तथा इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समय-समय पर ऐसे आदेश तथा निदेश जारी कर सकेगा जो वह इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समझे ।

10. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति: यदि इन विनियमों के किसी उपबंध को प्रभावी करने में कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा करने या वचनबंध करने या पारिषण स्वामी को ऐसा निदेश दे सकेगा या ऐसी बात आरंभ कर सकेगा जो आयोग की राय में कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

11. आयोग के समक्ष कार्यवाहियां: केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 1999, जिसमें कोई भी कानूनी संशोधन या उसकी पुर्न-अधिनियमिति भी सम्मिलित हैं, इन विनियमों के अधीन आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में लागू होंगे ।

के. एस. ढींगरा, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन 3/4/असल./150/07]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2007

F. No. L-7/106(122)/CERC-2007.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title, extent and commencement. (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of revenue derived from utilisation of transmission assets for other business) Regulations, 2007.

(2) These regulations shall be applicable to the owners of the inter-State transmission system, including any element thereof, transmission charges of which are determined by the Commission on cost-plus basis.

(3) These regulations shall come into force on 1.1.2008.

2. Definitions and interpretation.

(1) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(2) "assets" means any assets forming part of the inter-State transmission system under the regulatory jurisdiction of the Commission;

(3) "Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission;

(4) "other business" means any business other than the transmission business, carried out by the transmission owner for optimum utilisation of its assets;

(5) "transmission business" means the business of construction, operation and maintenance of the inter-State transmission system;

(6) "transmission owner" means a person who owns, operates and maintains the inter-State transmission system;

(7) Words and expressions occurring in these regulations and not defined herein shall bear the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Intimation of other business. (1) The transmission owner proposing to undertake the other business for optimum utilization of its assets shall give prior intimation, in writing, to the Commission of its intention to undertake such other business:

Provided that the transmission owner undertaking the other business before commencement of these regulations shall give such intimation within two months from the date of such commencement.

(2) While giving intimation as aforesaid, the transmission owner shall furnish, duly supported by affidavit, the following details, namely:-

(a) nature of other business:

(b) capital investment in other business;

(c) revenue derived or estimated to be derived from other business;

(d) assets utilized or proposed to be utilized for other business, such as length of right-of-way utilised or proposed to be utilised in case of telecommunication business;

(e) cost of the assets utilized or proposed to be utilized; and

(f) impact, if any, of use of assets for other business on inter-State transmission of electricity.

(3) The details specified under clause (2) shall thereafter be furnished by the transmission owner every time there is a change in the utilization of its assets for other business:

Provided that these details in case of telecommunication business shall be furnished half-yearly by 30th April and 31st October of each year.

Provided further that in case of a business other than the telecommunication business such details shall be furnished yearly by 31st October of each year even though there is no change in utilisation of the assets:

(4) The details furnished by the transmission owner to the Commission shall also be given to the beneficiaries of the assets utilised for other business.

4. Manner of sharing of revenue. (1) The transmission owner shall share the revenue from the other business in the following manner, namely:

(a) Telecommunication business

(i) In case the other business is the telecommunication business the criterion for sharing of revenue shall be the length of the right-of-way used for laying optical fibre cable or optical fibre composite overhead ground wire over the transmission towers owned by the transmission owner for telecommunication business.

(ii) The transmission owner shall share revenue @ Rs.3000/- per year per km of the right-of-way utilised for laying one optical fibre cable or optical fibre composite overhead ground wire over the transmission towers and the revenue shared may be apportioned

between the users of the optic fibre cable or optical fibre composite overhead ground wire in proportion to the number of fibres identified for utilization.

Explanation: If an optical fibre cable or optical fibre composite overhead ground wire having 'm' fibres has been installed on a transmission line, and 'n' fibres are meant to be used for telecommunication business (remaining fibres being used for Unified Load Despatch and Communication scheme), telecommunication business will reimburse Rs.(n/m) x 3000 per Km to the transmission business for reduction of annual transmission charges.

(iii) Length of the right-of-way existing on 1st April shall be considered for calculation of revenue sharable for the period 1st April to 30th September and that existing on 1st October for the period from 1st October to 31st March of the relevant financial year:

Provided that in case of the transmission owner undertaking telecommunication business before commencement of these regulations, length of right-of-way as existing on 1st January 2008 shall be considered for calculation of revenue sharable for the period 1st January 2008 to 31st March 2008.

(b) Other than telecommunication business

In case the other business is a business other than the telecommunication business, the sharing of revenue shall be decided by the Commission on case-to-case basis on consideration of the value of the assets utilised in such other business, the revenue derived therefrom and other details furnished by the transmission owner under regulation 3 of these regulations:

Provided that before deciding the question of sharing of revenue, the Commission shall provide an opportunity of representation to the transmission owner and the beneficiaries of the assets.

5. Reduction in Transmission Charges. The revenue sharable by the transmission owner in accordance with these regulations shall be utilised towards reduction of transmission charges payable by the beneficiaries of the assets utilised for other business in proportion to the transmission charges payable by them to the transmission owner and shall be adjusted on monthly basis in the bills of the respective month.

6. Maintenance of accounts. (1) The transmission owner shall maintain separate books of accounts for each of the other business, and separately from those of the transmission business and submit copies of the balance sheet, profit and loss account for the period ending 31st March, the auditors reports and notes on accounts to the Commission annually on or before 31st October of the year.

(2) The books of accounts for the other business shall, inter alia, contain the details of revenue, cost, asset, liability, reserve, provision charged from or to the other business together with the basis for apportionment or allocation of charges between the transmission business and the other business.

7. Other conditions. (1) The transmission owner shall ensure that the transmission business does not subsidise the other business.

(2) The transmission owner shall not in any way encumber its transmission assets to support the other business.

(3) The transmission owner shall ensure that the utilisation of its assets for the other business shall not in any manner adversely affect its performance or obligations in the transmission business.

8. Powers of the Commission. (1) The Commission may at any time direct inspection and verification of accounts, records and assets of the transmission owner for assessment of the extent of the assets of the transmission business being utilised for the other business and for ensuring compliance of the Act, the rules and these regulations.

(2) The Commission may authorise any of its officers or any other person subject to such conditions, if any, as it may consider appropriate, to carry out inspection for the purpose of verification of the revenue sharable under these regulations and report to the Commission.

(3) The Commission may, after considering the report under clause (2) and after giving an opportunity of representation to the transmission owner and the beneficiaries of the assets, pass such order as it may consider appropriate.

9. Issue of orders and directions. Subject to the provisions of the Act, the rules and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and directions as it may consider necessary to give effect to the provisions of these regulations.

10. Power to remove difficulties. If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, by a general or special order, do or undertake or direct the transmission owner to do or undertake things, which, in the opinion of the Commission, are necessary or expedient to do or undertake for removing the difficulty.

11. Proceedings before the Commission. The Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999, including any statutory amendment or re-enactment thereof shall apply to the proceedings before the Commission under these regulations.

K. S. DHINGRA, Chief (Law)

[ADVT.-III/IV/Exty./150/07]